सुकमा व बीजापुर में समीक्षा व रणनीति पर हुई चर्चा

आम जनता को करीब लाकर पुलिस विश्वास व सुरक्षा के साथ विकास करें

हरिभूमि न्यूज ▶▶| जगदलपुर/बीजापुर

डीजीपी ने नक्सल प्रभावित बीजापुर से शुरू किया दौरा

नववर्ष की पहली बैठक डीजीपी डीएम अवस्थी ने नक्सल प्रभावित बीजापुर से शुरू करते हुए गत वर्ष में हुए आपरेशन व कार्यों की समीक्षा करते हुए नए वर्ष की रणनीति पर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान बस्तर आईजी पी सुंदरराज व क्षेत्र में तैनात सुरक्षाबलों के अधिकारी मौजूद थे।

■ क्षेत्र में तैनात सुरक्षाबलों के अधिकारियों को दिए निर्देश

डीजीपी के विजीट की जानकारी देते हुए आईजी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में डीजीपी का दौरा होना है। उन्होंने नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से इसकी शुरूआत की है। बीजापुर में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक क्षेत्र में तैनात विभिन्न बलों के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2019 में माओवादियों के खिलाफ किए गए आपरेशन व क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी माओवादियों के खिलाफ आपरेशन व विकास कार्यों की रणनीति पर विचार किया। दो घण्टे चली बैठक के दौरान श्री अवस्थी ने कहा कि आम जनता को करीब लाकर पुलिस विश्वास व सुरक्षा के साथ विकास करें। पुलिस आफिसर मेस में चली दो घण्टे की बैठक में उन्होंने नक्सल अभियान की समीक्षा करते हुए विकास व आमजनता की सुरक्षा पर जोर देते हुए इसे सर्वोपरि बताया। गत वर्ष की तरह इस वर्ष दोगुने उत्साह के कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आईजी पी सुंदरराज, डीआईजी सीआरपीएफ कोमल सिंह, एसपी दिव्यांग पटेल, एएसपी मिर्जा जियारत बेग समेत सभी बटालियन के कमाण्डेंट मौजूद थे।

दो बसों में भिड़ंत, एक की मौत, 18 घायल

जामगांव आर। दुर्ग से बटरेल जा रही मिनी ट्रेवल्स की बस सीजी 07 ई-0971 एवं धमतरी से दुर्ग जा रही बस सीजी 07 ईओ-442 में कुम्हली के पास मंगलवार की शाम 6.30 बजे जोरदार भिड़ंत हो गई। जिसमें साहू ट्रेवल्स ड्राइवर त्रिभुवन साहू नेवई उम्र 45 वर्ष की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर मिनी ट्रेवल्स ड्राइवर रिंकू खान किकिरमेटा बुरी तरह से बस में फंसा रहा। डम्फर की सहायता से दोनो बसों को अलग कर बड़ी मशक्कत के बाद रिंकू खान को बस से निकाल कर उपचार के लिए भेजा गया। दोनों बसों की लगभग डेढ़ दर्जन यात्रियों को 112 के माध्यम से पाटन एवं उतई शासकीय चिकित्सालय भेजा गया।

घटना की ख़बर मिलते ही रानीतराई टीआई सीताराम ध्रुव अपने दलबल के साथ पहुंचकर मृतक को दुर्ग मरच्यूरी भिजवाया और घायलों को उपचार के लिए पाटन व उतई के हॉस्पीटलों में भेजा। इस दर्दनाक घटन की जानकारी मिलते ही पाटन एसडीओपी आकाश राव गिरि पुंजे भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया व घायल यात्रियों के उपचार के लिए भिजवाने में तत्परता दिखाने मार्गदर्शन दिया। बताया जा रहा है कि दुर्ग से बटरेल जा रही बस में सामने बैठी नवागांव निवासी योगेश्वरी साहू व बटरेल निवासी प्रियंका कांच तोड़ते हुए बस से बाहर सड़क पर पड़ी रही। दोनों को सामान्य चोटें आईं।

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) विश्वास की परम्परा
(A Govt. Of India Undertaking) A tradition of trust

(प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकता - 700001), मंडलीय कार्यालय - रायपुर, शाखा-रायपुर (मुख्य शाखा)
पता- अमृत संदेश काम्प्लेक्स, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)-492001, फोन: 0771-2226648

ई-नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत संपत्ति :- मोहम्मद जुनेद के नाम पर मोहम्मद जुनेद तथा श्रीमती शायरा अंजुम के खाते में बंधक मोहम्मद जुनेद पिता अब्दुल गफ्फार के नाम पर प.ह.नं. 110/63, रा.नि.मं. तथा तहसील-रायपुर, रायपुर नगर निगम क्षेत्र, वार्ड क्र. 28, महर्षि वाल्मिकी वार्ड, भावना नगर, शंकर नगर, जिला-तहसील - रायपुर, खसरा क्र. 721/2, 722/2, 720, 1317/1क, 1317/9 (भाग), भूमि क्षेत्रफल 1591 वर्गफीट (37x43) का **दिनांक 18.02.2020 को, इलाहाबाद बैंक, रायपुर मुख्य शाखा में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ई-नीलामी द्वारा विक्रय हेतु सूचना।**

अचल संपत्ति का विवरण	मोहम्मद जुनेद के नाम पर प.ह.नं. 110/63, रा.नि.मं. तथा तहसील-रायपुर, रायपुर नगर निगम क्षेत्र, वार्ड क्र. 28, महर्षि वाल्मिकी वार्ड, भावना नगर, शंकर नगर, जिला-तहसील - रायपुर, खसरा क्र. 721/2, 722/2, 720, 1317/1क, 1317/9 (भाग), भूमि क्षेत्रफल 1591 वर्गफीट (37x43) आवासीय भूखण्ड सहित सम्पत्ति का समस्त भाग तथा अंश। **बाउण्ड्री :** उत्तर में - सुस्मिता नायक का भूखण्ड, दक्षिण में - सड़क, पूर्व में - सत्य नारायण काबरा का मकान, पश्चिम में - कैलाश साहू का मकान।
भूमि पर प्रभार का विवरण : स्थानीय प्रशासन को देय, विद्युत, संपत्ति कर, नगरपालिक निगम कर इत्यादि। यदि कोई बैंक की जानकारी में हों:	उपरोक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार के प्रभार, ऋणभार कर अथवा अन्य देयताओं की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को नही है । सम्पत्ति का विक्रय **"जहां है जैसी है, जो है जैसी है"** के आधार पर किया जायेगा ।
देनदार का नाम :	**मोहम्मद जुनेद तथा श्रीमती शायरा अंजुम**
जमानतदार/बंधककर्ता का नाम:	-
प्रतिभूति ऋण की राशि	**रू. 25,69,279/-** (रूपये पच्चीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ उनयासी मात्र)+ 30.07.2019 से वसूली की तिथि तक ब्याज, लागत, शुल्क एवं व्यय ।
आरक्षित मूल्य	**रु. 29,05,000/-** (रुपए उनतीस लाख पांच हजार मात्र)
धरोहर जमा राशि	**रु. 2,90,500/-** (रुपए दो लाख नब्बे हजार पाँच सौ मात्र)
धरोहर जमा राशि सहित प्रोसेस कम्प्लायेंस फार्म जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**17.02.2020** सायं **4.00** बजे तक।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	**18.02.2020 प्रात: 11.00** बजे से **अपरान्ह 1.00** बजे तक।
सुविधा केन्द्र :	**इलाहाबाद बैंक, रायपुर मुख्य शाखा**
अन्य विवरण तथा नियम एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्पर्क करें : **श्री के. श्रीनिवास, (सहायक महाप्रबंधक तथा प्राधिकृत अधिकारी), इलाहाबाद बैंक, रायपुर मुख्य शाखा, अमृत संदेश काम्पलेक्स, रायपुर (छ.ग.), फोन: 0771-2226648 मो. 9640136555** ई-मेल: **br.raipur@allahabadbank.in**	अन्य जानकारी, नियम व शर्तों को डाउनलोड करने हेतु कृपया अवलोकन करें : **(i) https://www.allahabadbank.in (ii) https:// www.tenders.gov.in (iii) https://www.mstcecommerce.com** बोलीकर्ता को **अग्रिम रूप से** निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरा करना चाहिए : **स्टेप 1: बोलीकर्ता/क्रेता पंजीयन :** बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी पोर्टल (लिंक ऊपर उल्लेखित) **http:www.mstcecommerce.com** पर अपने मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी का उपयोग करते हुए पंजीयन करना चाहिए। **स्टेप 2: केवायसी सत्यापन:** बोलीकर्ता को अपेक्षित केवायसी दस्तावेज अपलोड करना चाहिए। केवायसी दस्तावेज ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। (2 कार्य दिवस लग सकते हैं) **स्टेप 3: जमा धरोहर राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वालेट में स्थानांतरण :** एनईएफटी/स्थानांतरण का उपयोग करते हुए कोष का ऑनलाईन/ऑफलाईन स्थानांतरण, ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करते हुए। **स्टेप 1 से स्टेप 3 ई-नीलामी की तिथि से पहले बोलीकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से पूरा किया जाना चाहिए।**

टीप : इस सूचना द्वारा संबंधित खातों के ऋणी / जमानतदार /बंधककर्ता/ विधिक उत्तराधिकारी भी उपरोक्त संपत्तियों का वर्णित तिथि एवं विवरण के अनुसार विक्रय की सूचना जाने ।
नोट : किसी भी विवाद की स्थिति में इस नोटिस का अंग्रेजी संस्करण, जो कि **द टाइम्स ऑफ इंडिया** रायपुर संस्करण में दि. **08.01.2020** को प्रकाशित है मान्य होगा ।

दिनांक: 07.01.2020, स्थान: रायपुर — **प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक**

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एन. आई.टी. क्र./सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू. (लाख में)	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4
216/59422	S/R, M.O.W. & DEPOSIT WORK IN KUTCHARI SECTION UNDER PWD CONSTRUCTION SUB DIVISION NO-2 RAIPUR (C.G.)	रू. 50.00 लाख	दिनांक 24.01.2020 समय 17:30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानाकारी https://eprco.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि. रायपुर मण्डल क्रं.-1
रायपुर (छ.ग.)

G-76085/2

मेडिकल कालेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर कापसी में पदस्थ व्याख्याता 34 लाख की ठगी की हुई शिकार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| कांकेर

स्कूल में प्रवेश दिलाने के नाम पर पखांजुर के एक परिवार से एक साल पहले 34 लाख 35 हजार 200 रूपए की ठगी हो गई। पैसा वापिस नहीं होने पर पीड़ित ने पखांजुर थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित शिखा दास पति विश्वास दास ने बताया कि 21 जून 2019 को 2 बजे मोबाइल नम्बर 8929834052 से फोन आया कि आपके बच्चे नीट में क्वालीफाई हो गए है, उनका मेडिकल कालेज में प्रवेश दिलवा देंगे। 2018 में भी फोन आया था, परंतु पीड़िता ने मना कर दिया था और बताया था कि हमारे दोनों बच्चे अभी तैयारी कर रहे है। 2019 में फिर से उसने संपर्क किया और पीड़ित उनके झांसे में आ गए। पीड़ित कापसी हाई स्कूल में व्याख्याता है और उन्होने बताया कि कई बार में हमने उसके बताए खाते पर 34 लाख 35 हजार 200 रूपए भेजा।

इसके बाद राशि वापिस नहीं होने पर 1 जनवरी को बंगलौर जाकर पतासाजी किया तो पता चला कि आप ठगी के शिकार हो गए है। बंगलौर से वापिस आकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ 6 जनवरी 2020 को पखांजुर पुलिस के पास शिकायत किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज

(व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन" सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)- 492007
दूरभाष (0771) 2513100 से 2513110 तक
E-mail : mfpfed.cg@nic.in, Website : www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक/ते.प.(2020) - I — दिनांक 26.12.2019

केविएट सूचना

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2020 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम निर्वर्तन हेतु संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2020)-I दिनांक 26.12.2019 द्वारा तीन चक्रों हेतु ऑन लाईन निविदाएँ क्रमशः दिनांक 16.01.2020, 04.02.2020 एवं 17.02.2020 तक आमंत्रित की गई है । उक्त आमंत्रित ई-निविदाओं को क्रमशः दिनांक 16.01.2020, 04.02.2020 एवं 17.02.2020 को संघ मुख्यालय में ऑनलाईन खोला जाना है।

प्रथम चक्र की अग्रिम निर्वर्तन सम्बन्धी उक्त कार्यवाही में संघ को लगभग मूल्य रूपये 600 करोड़ (कर अतिरिक्त) के प्राप्त होने की संभावना है । व्यापारियों के मध्य हुए प्रतिस्पर्धा को देखते हुए संघ को ऐसी आशंका है कि ई-निविदा प्रक्रिया में सम्भावित असफल व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अग्रिम विक्रय की प्रक्रिया/तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते है । ऐसी स्थिति में संघ एवं तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अपूर्णीय क्षति होगी ।

अतः इस केविएट सूचना के द्वारा ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले समस्त ई-निविदाकर्ताओं तथा अन्य को सूचना दी जाती है, कि संघ द्वारा किसी भी सम्भावित रिट याचिका एवं स्थगन आवेदन के विरूद्ध केविएट दायर कर दी गई है।

अतः प्रस्तावित याचिका कर्ताओं से अपेक्षा है कि याचिका की अग्रिम प्रति संघ के मुख्यालय अथवा संघ के नीचे दिये गये अधिवक्ता के पते पर तामिल की जा सकती है ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज
(व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर (छ.ग.)

अधिवक्ता
(सैय्यद माजीद अली)
अधिवक्ता छ.ग.उच्च न्यायालय
एफ-1, ग्राउण्ड फ्लोर, बाबजी नगर
बिलासपुर (छ.ग.) 495001
मो.नं.- 8109367186,

S-23988/3

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़

Telephone & Fax- 07848-259337
Email-dfokeshkal@gmail.com
GSTIN-22AAAGK0512N1ZQ

निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमंडल द्वारा वनमंडल अंतर्गत चल रहे विभिन्न स्वीकृत कार्यों में उपयोग हेतु **पोकलेंड, जे.सी.बी., ट्रेक्टर(ट्राली सहित) पानी टेंकर (ट्रेक्टर सहित) एवं मिक्सर मशीन (डीजल सहित)** किराये से कार्य कराने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। जिस हेतु विस्तृत प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन समय पर प्राप्त कर सकते है।

निविदा विवरण :-

1. निविदा शुल्क 500/- (रूपये पांच सौ) मात्र नगद जमा कर कार्यालयीन समय पर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है।
2. निविदा फार्म के बिक्री की अंतिम तिथि - 28.01.2020 दोपहर 12.00 बजे तक
3. निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि - 28.01.2020 दोपहर 01.00 बजे तक
4. निविदा फार्म खोलने की प्रथम तिथि - 28.01.2020 दोपहर 02.00 बजे

प्रथम निविदा असफल होने की स्थिति में

5. द्वितीय तिथि - 31.01.2020 दोपहर 02.00 बजे

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

G-76092/2

प्रपत्र जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(अक्षमता एवं दिवालियापन नियम 36 ए (1)
(निगमित व्यक्तियों के अक्षमता शोधन प्रक्रिया) नियम 2016 अंतर्गत

संदर्भित विवरण

1.	निगमित देनदार का नाम	केएसके महानदी पॉवर कम्पनी लिमिटेड
2.	निगमित देनदार के निगमित होने की तिथि	19 जून 2009
3.	अधिकारी जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमित/पंजीकृत हुआ है	कंपनी पंजीयक, मुंबई
4.	निगमित देनदार की पहचान संख्या /निगमित देनदार की मर्यादित देनदारी परिचय संख्या	U40300TG2009PLC064062
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय :8-2-293/82/ए/431/ए, रोड नं.22 जुबिली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना 500033 भारत
6.	निगमित देनदार के अक्षमता घोषणा की तिथि	03, अक्टूबर 2019
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	08 जनवरी 2020 रुचि की अभिव्यक्ति का विस्तृत आमंत्रण www.ksk.co.in/kmpcl पर उपलब्ध है
8.	कोड की धारा 25 (2) एचके अंतर्गत शोधन आवेदक की पात्रता उपलब्ध	रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की पात्रता मापदंड विस्तृत रूप से निर्धारित है।
9.	धारा 29 ए अंतर्गत लागू अपात्रता मापदंड उपलब्ध	रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण विस्तार में ये मापदंड हैं।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	23 जनवरी 2020
11.	इच्छुक शोधन आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	28 जनवरी 2020
12.	अस्थायी सूची के प्रति दावा/आपत्ति प्रस्तुति की अंतिम तिथि	2 फरवरवी 2020
13.	इच्छुक शोधन आवेदकों की अंतिम सूची जारी की तिथि	12 फरवरी 2020
14.	इच्छुक शोधन आवेदकों को योजना हेतु सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स एवं आवेदन जारी होने की तिथि	2 फरवरी 2020
15.	शोधन योजना मूल्यांकन मैट्रिक्स सूचना ज्ञापन एवं सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति का ढंग	इच्छुक शोधन निवेदकों को जो अक्षमता एवं दिवालियापन नियम 36 ए (निगमित व्यक्ति के अक्षमता शोधन प्रक्रिया नियम 2016) के अनुसार रुचि अभिव्यक्ति के आमंत्रण में विस्तृत प्रक्रिया अंतर्गत चयनित पात्र होंगे। उन्हें शोधन पेशेवर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
16.	शोधन योजना के प्रस्तुति की अंतिम तिथि	2 मार्च 2020
17.	शोधन पेशेवर के पास शोधन प्रस्तुति का ढंग	अक्षमता एवं दिवालियापन के नियम 36 ए (निगमित व्यक्ति के अक्षमता शोधन प्रक्रिया नियम 2016) के अनुसार शोधन पेशेवर द्वारा शोधन योजना में जैसा विवरण जारी किया जाना है
18.	निर्णायक प्राधिकरण के सम्मुख शोधन योजना प्रस्तुति की अनुमानित तिथि	16 मार्च 2020
19.	शोधन पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या	श्री महिन्दर कुमार खंडेलवाल पंजीयन संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-2017/10086
20.	बोर्ड में पंजीकृत शोधन पेशेवर का नाम, पता एवं ई-मेल	श्री महिन्दर कुमार खंडेलवाल पता :- बी-2ए, सनी वैली, सी.जी.एच.एस. द्वारका सेक्टर 12, नई दिल्ली - 110078 ई-मेल आईडी : khandelwalmahendar2@gmail.com
21.	शोधन पेशेवर से पत्राचार हेत पता एवं ई-मेल	252, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (प.) मुंबई-400028 ई-मेल : ip.mk.ksk@in.pwc.com/ khandelwalmahendar2@gmail.com
22.	अन्य विवरण उपलब्ध	श्री महिन्दर कुमार खंडेलवाल ई-मेल : ip.mk.ksk@in.pwc.com/ khandelwalmahendar2@gmail.com
23.	प्रपत्र जी प्रकाशन की तिथि	08 जनवरी 2020

सही/-
केएसके महानदी पॉवर कम्पनी लिमिटेड के अंतरिम शोधन पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-2017/10086
बी-2ए, सनी वैली, सी.जी.एच.एस. द्वारका सेक्टर-12,
नई दिल्ली - 110078

08 जनवरी 2020

1 राष्ट्र कर बाजार
जीएसटी

जीएसटीआर - 1
10 जनवरी 2020
तक जमा करने पर
कोई विलम्ब शुल्क नहीं

सभी करदाताओं को
जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक
लंबित सभी
फॉर्म जीएसटीआर-1
10 जनवरी 2020
तक जमा करने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा।

11 जनवरी से ऐसे करदाता, जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 जमा नहीं किए हैं, ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकेंगे।

सभी करदाताओं के लिए यह एक अंतिम अवसर है और इसके बाद विलम्ब शुल्क लगाया और लिया जाएगा। अधिकतम दायित्व प्रति माह ₹10,000/- तक हो सकता है।

प्राप्तकर्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ताओं को इस विवरणी को जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उनके जीएसटीआर-1 फॉर्म जमा नहीं करने से प्राप्तकर्ता की इनपुट टैक्स क्रेडिट पात्रता प्रभावित होगी।

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
www.cbic.gov.in
davp 15502/13/0020/1920